



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2522] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10, 1941
No. 2522] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

का.आ. 2775(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 695 (अ), तारीख 8 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 16 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर मंत्रालय में विचार किया गया था;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य अक्षांश 24°11' से 24°12' उ० और देशांतर 85°13' और 85°32' पू० झारखंड राज्य के जिला हजारीबाग के मध्य अवस्थित है। अभयारण्य 186.25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला है और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 26 किलोमीटर की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7 किलोमीटर की चौड़ाई के आकार में मोटे तौर पर आयताकार है और हजारीबाग के राजस्व खंड, आईचक और पदमा के अंतर्गत पड़ने वाले 72 ग्रामों से अधिक इसका विस्तार है ;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य में प्रचुर जैव विविधता है। विगत में, यह भारतवर्ष में सबसे बड़ा हिरण

प्रजाति सांभर का निवास था। इस पर्यावास में चीतल, बनैला सूअर, काला भालू, सियार, साही, लकडबग्घा, साल, खरगोश आदि भी रहते हैं। यहाँ अक्सर दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियाँ हैं सरपेंट गरूड, पैराडाइस फ्लाई कैचर, किंगफिशर, बी ईटर, सूइफ्ट, विभिन्न प्रकार के बल्लर्स, ब्लैक ट्रोनों, कठफोडवा, लैपविंग, मटरमुर्गा, बगुला, इग्रेट इत्यादि। यहां कभी-कभी मांसभक्षी जैसे भेड़िया और तेंदुआ भी दिखाई पड़ते हैं। हजारीबाग जिले के गजट, 1917 में यह अवलोकित किया गया था कि दंतों की पहाड़ियां बाघ और तेंदुओं के स्थायी पर्यावास हैं जो हजारीबाग कस्बों में अक्सर देखे गए थे। इस अभयारण्य के वनों में हाथियों का भी बसेरा है।

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य कई छोटी नदी प्रणालियों जैसे क्रेता, सिवाने और दायता के जलग्रहण क्षेत्रों के बीच स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र, कई बरसाती प्राकृतिक नदियों और झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों के रूप में कार्य करता है। इस संरक्षित क्षेत्रों के वन भूजल रिचार्ज करने और मिट्टी के क्षरण को रोक कर नदी में गाद जमाव को रोकने में सहायक है;

और, इस संरक्षित क्षेत्र में विविध प्रकार के वन हैं- जैसे कि उत्तरी भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र एवं शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती यह स्तनधारियों की 16, पक्षियों की 124 और वनस्पतियों की 142 प्रजातियों तथा तेंदुआ, रीछ, साल, अजगर, इत्यादि कि जैसी संकटापन्न प्रजातियों की एक की बहुत बड़ी आबादी का उत्कृष्ट पर्यावास है;

और, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड राज्य हजारीबाग जिला में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 900 मीटर से 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 900 मीटर से 5 किलोमीटर तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 573.86 वर्ग किलोमीटर है।

(2) हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-II** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और

राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि और बागवानी;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन सहित पारिस्थितिकी पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- (ix) नगरपालिका और शहरी विकास;
- (x) पंचायती राज;
- (xi) लोक निर्माण विभाग; और
- (xii) झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु यह कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगरी योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और
- (v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ;

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरणीय अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण

के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियां के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणिया
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने और व्यक्तिगत उपभोग के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालित होंगी।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी; परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार

		जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों और काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।

		(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
12.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित

		होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
ग. संबंधित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

- | | | |
|-------|---|----------------|
| (i) | आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रभाग, हजारीबाग | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iii) | राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि | सदस्य; |
| (iv) | झारखंड के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि | सदस्य; |

(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vi)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	संबद्ध प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य;
(viii)	संरक्षित क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी-प्रभारी	सदस्य सचिव।

6. निर्देश-निबंधन:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

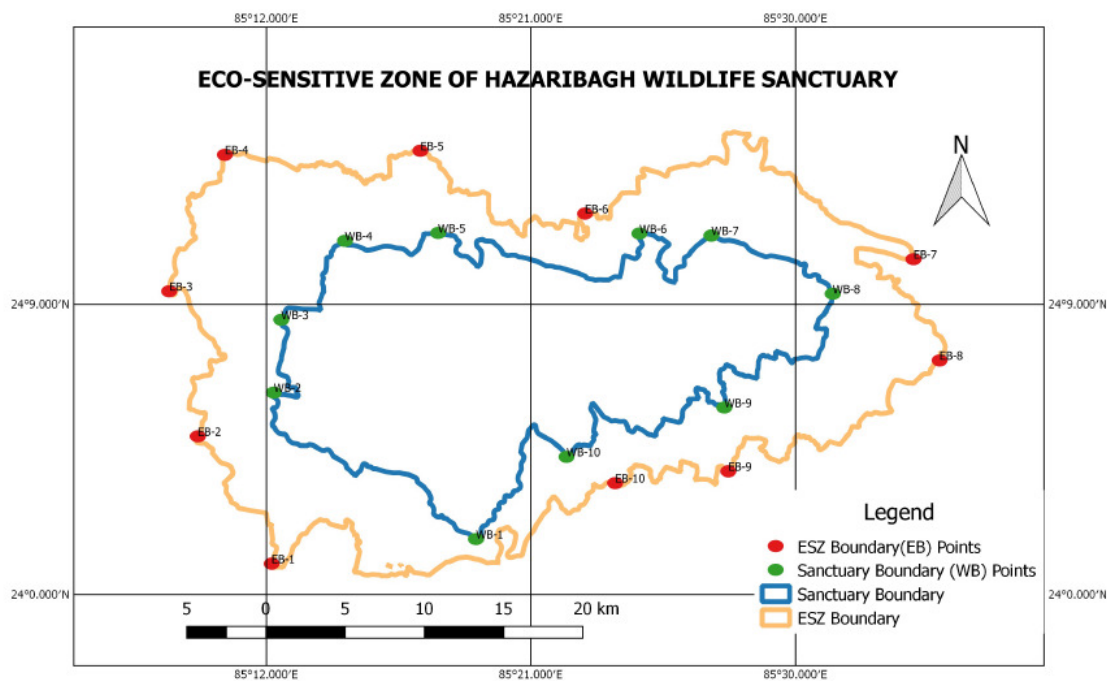
(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/66/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'



उपाबंध-III

सारणी क –हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य सीमा के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य सीमा के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक		
बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
डब्लू बी-1	24.0287353	85.3188341
डब्लू बी-2	24.1044644	85.204184
डब्लू बी-3	24.1420867	85.2084227
डब्लू बी-4	24.182815	85.2445153
डब्लू बी-5	24.1868478	85.2973236
डब्लू बी-6	24.1865578	85.4114566
डब्लू बी-7	24.1855639	85.4522232
डब्लू बी-8	24.155473	85.5210726
डब्लू बी-9	24.096679	85.4596269
डब्लू बी-10	24.0712338	85.3701658

सारणी ख – पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक

पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा के हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के जीपीएस निर्देशांक		
बिंदु	अक्षांश (उ)	देशांतर (पू)
ई बी-1	24.015983	85.2029421
ई बी-2	24.0818193	85.1611126
ई बी-3	24.1567857	85.1448759
ई बी-4	24.2272691	85.1764729
ई बी-5	24.2293016	85.2872968
ई बी-6	24.1968733	85.3806201

ई बी-7	24.1733697	85.5668853
ई बी-8	24.1210868	85.5816588
ई बी-9	24.0637773	85.4618692
ई बी-10	24.0577175	85.397699

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पहचान करने के लिए हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के संलग्न ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	जीपीएस निर्देशांक	भारत जनगणना, 2011 के अनुसार शहर/ग्राम कोड
1	2	3	4	5
1	राहिया	ईचाक	24.1123 उ, 85.2881 पू	368052
2	कैले	ईचाक	24.1406 उ, 85.3404 पू	368065
3	चम्पानगर- नवाडीह	ईचाक	24.112 उ, 85.3163 पू	368054
4	मथवा(नथवा)	ईचाक	24.1225उ 85.3411 पू	368064
5	तिलरा	ईचाक	24.0960उ 85.3344 पू	368058
6	भुसवा	ईचाक	24.0822उ 85.3397 पू	368059
7	विक्रमा	ईचाक	24.0818उ 85.3068 पू	368056
8	कोआतु	ईचाक	24.0911उ 85.3202 पू	368057
9	पोखरिया	ईचाक	24.1400उ 85.3724 पू	368066
10	पण्डरा	ईचाक	24.1548उ 85.3901 पू	368067
11	लोटवा	ईचाक	24.1429उ 85.4013 पू	368068
12	सिझुआ	ईचाक	24.1110उ 85.3916 पू	368081
13	दांगी	ईचाक	24.1187उ 85.3710 पू	368063
14	फुलदाह	ईचाक	24.1136उ 85.3530 पू	368062
15	हदारी	ईचाक	24.0976उ 85.4079 पू	368080
16	डुमरौन	ईचाक	24.0914उ 85.3678 पू	368060
17	गुरकुवा	ईचाक	24.0986उ 85.3526 पू	368061
18	परासीराजघाट	ईचाक	24.1426उ 85.4237 पू	368069
19	पुरनपनीया	ईचाक	24.1513उ 85.4918 पू	368132
20	सयालकला	ईचाक	24.1356उ 85.4704 पू	368127
21	कालाद्वार	ईचाक	24.1356उ 85.4839 पू	368133

22	फुफंदी	ईचाक	24.1343उ 85.4969 पू	368134
23	मरपा	ईचाक	24.1295उ 85.5066 पू	368137
24	सयाल खुर्द	ईचाक	24.1306उ 85.4602 पू	368128
25	तुरी	ईचाक	24.1508उ 85.4446 पू	368129
26	हसैल	ईचाक	24.1231उ 85.4455 पू	368070
27	मनई	ईचाक	24.1281उ 85.4533 पू	368071
28	बरकाकला	ईचाक	24.1184उ 85.4323 पू	368074
29	परासी	ईचाक	24.0998उ 85.4231 पू	368079
30	खुटरा	ईचाक	24.1080उ 85.4271 पू	368075
31	डाढीघाघर	ईचाक	24.1711उ 85.4523 पू	368130
32	गरडीह	ईचाक	24.1649उ 85.4802 पू	368131
33	सिमरातरी	ईचाक	24.1550उ 85.5070 पू	368135
34	डुमरी	ईचाक	24.1244उ 85.2991 पू	368053
35	कोवादी और कोलवाडीह	ईचाक	24.0885उ 85.3027 पू	368055
36	पिचरी	कटकमसांडी	24.0793उ 85.2732 पू	368631
37	गोसी	कटकमसांडी	24.0730उ 85.2531 पू	368632
38	सुलमी	कटकमसांडी	24.0721उ 85.3162 पू	368648
39	सारूगारू खूर्द	कटकमसांडी	24.0680उ 85.2742 पू	368629
40	लुपूंग	कटकमसांडी	24.0607उ 85.3041 पू	368647
41	बहिमर	कटकमसांडी	24.0631उ 85.2797 पू	368628
42	असधीर	कटकमसांडी	24.0492उ 85.2956 पू	368643
43	बरतुअ	कटकमसांडी	24.0430उ 85.3151 पू	368645
44	डुकरा	कटकमसांडी	24.0507उ 85.3223 पू	368646
45	जलिमा	कटकमसांडी	24.0362उ 85.3103 पू	368644
46	कुम्भीयाटांड	कटकमसांडी	24.0613उ 85.2605 पू	368633
47	बोरोगरा	कटकमसांडी	24.0554उ 85.2788 पू	368634
48	डांड	कटकमसांडी	24.0915उ 85.2767 पू	368626
49	गुरुडीह	कटकमसांडी	24.1173उ 85.2660 पू	368625
50	सरकजा	कटकमसांडी	24.1189उ 85.2453 पू	368607
51	नचले	कटकमसांडी	24.1056उ 85.2459 पू	368624
52	डुमरी	कटकमसांडी	24.1170उ 85.2365 पू	368608
53	हटकौना	कटकमसांडी	24.0910उ 85.2264 पू	368622
54	लखनु	कटकमसांडी	24.0918उ 85.2097 पू	368621
55	हरहद	कटकमसांडी	24.0865उ 85.2416 पू	368623
56	एदला	कटकमसांडी	24.1381उ 85.2144 पू	368612

57	बांझा	कटकमसांडी	24.1367उ85.2308 पू	368606
58	उरीदीरी	कटकमसांडी	24.1159उ85.2233 पू	368610
59	बोरोगढा	कटकमसांडी	24.1058उ85.2227 पू	368609
60	खैरिका	कटकमसांडी	24.1208उ85.2127 पू	368611
61	धरहारा	कटकमसांडी	24.0688उ85.3276 पू	368649
62	डाटोकला	कटकमसांडी	24.1680उ85.2406 पू	368603
63	डाटोखूर्द	कटकमसांडी	24.1534उ85.2621 पू	368602
64	कुद	कटकमसांडी	24.1500उ85.2395 पू	368605
65	बलिया	कटकमसांडी	24.1802उ85.2934 पू	368599
66	रायबर	कटकमसांडी	24.1557उ85.2892 पू	368601
67	होरिया	कटकमसांडी	24.1528उ85.3088 पू	368600
68	सारुगारू कला	कटकमसांडी	24.0696उ85.2835 पू	368630
69	दोनई कला	पदमा	24.1629उ85.3339 पू	368022
70	जीहु	पदमा	24.1584उ85.3658 पू	368030
71	तिलिर	पदमा	24.1613उ85.4030 पू	368037
72	बुन्दु	पदमा	24.1674उ85.4170 पू	368040

हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य के चारों

और पारिस्थितिकी संवेदी जोन पहचान करने वाले और क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	प्रशासनिक ब्लॉक	जीपीएस निर्देशांक	भारत जनगणना, 2011 के अनुसार शहर/ग्राम कोड
1	2	3	4	5
1	बरदाग	बरही	24.2283उ 85.4601 पू	367994
2	चोरगरहा	बरही	24.2272उ85.4724 पू	367997
3	जितपुर	बरही	24.2158उ 85.4727 पू	367998
4	पीपराटांड	बरही	24.2113उ85.4922 पू	368003
5	दौरवा (अंश)	बरही	24.2209उ85.4398 पू	367894
6	कुटमा	बरही	24.2030उ85.4717 पू	367999
7	करहरिया	बरही	24.1974उ85.4984 पू	368002
8	रानी चुआं (अंश)	बरही	24.1949उ85.5201 पू	368006
9	नरसिंघवा	बरही	24.1904उ85.4642 पू	368000
10	धोबघाट	बरही	24.1828उ85.4884 पू	368001
11	मेरामगरहा (अंश)	बरकट्टा	24.1904उ 85.5380पू	368306

12	घांघरी (अंश)	बरकट्टा	24.1851उ85.5547 पू	368319
13	सिझुआ	बरकट्टा	24.1788उ85.5173 पू	368607
14	तिलैया पचरूखी (अंश)	बरकट्टा	24.1702उ85.5513 पू	368318
15	हेठलिडेबो	बरकट्टा	24.1664उ85.5337 पू	368309
16	उपरैली डेबो	बरकट्टा	24.1664उ85.5138 पू	368308
17	बभनी (अंश)	बरकट्टा	24.1485उ85.5292 पू	368145
18	राउसा	बरकट्टा	24.1619उ85.5458 पू	368310
19	रौउतरा	हजारीबाग	24.0536उ 85.3705 पू	368504
20	करमाटांड	ईचाक	24.1485उ85.5292 पू	368136
21	दरहा	ईचाक	24.1485उ85.5292 पू	368142
22	चँदवारा	ईचाक	24.1222उ85.5610 पू	368092
23	दीघीबस्ती	ईचाक	24.1268उ85.1202 पू	368143
24	उजराहीदिघी	ईचाक	24.1198उ85.14898 पू	368144
25	अम्बाटांड	ईचाक	24.1071उ85.4611 पू	368125
26	बरकाखुर्द	ईचाक	24.1071उ85.4611 पू	368073
27	जगरा	ईचाक	24.1095उ85.4729 पू	368123
28	थेपई	ईचाक	24.1174उ85.4803 पू	368126
29	अरा	ईचाक	24.1164उ85.5023 पू	368138
30	रतनपुर	ईचाक	24.1147N 85.4579 पू	368072
31	लुंदरू	ईचाक	24.1008उ85.5359 पू	368146
32	नंगरा पोखरिया	ईचाक	24.1029उ85.4902 पू	368139
33	दोइ	ईचाक	24.1045उ85.4829 पू	368124
34	कुरथीया	ईचाक	24.1017उ85.5049 पू	368141
35	दरिया	ईचाक	24.1002उ85.4696 पू	368121
36	जोगीडीह	ईचाक	24.1044उ85.4737 पू	368122
37	खारी	ईचाक	24.1038उ85.4442 पू	368076
38	बंसीनगर	ईचाक	24.0908उ85.4998 पू	368140
39	रूद	ईचाक	24.0895उ85.3866 पू	368082
40	जलौंध	ईचाक	24.0896उ85.4631 पू	368110
41	धरमु	ईचाक	24.0858उ85.4215 पू	368115
42	उरका	ईचाक	24.0851उ85.4767 पू	368119
43	गोबरबंधा	ईचाक	24.0862उ85.3967 पू	368083
44	बरियठ	ईचाक	24.0780उ85.3978 पू	368086
45	चन्दा	ईचाक	24.0802उ85.4635 पू	368111
46	पंचरूखी उर्फ पुरनाडी	ईचाक	24.0942उ85.4373 पू	368078
47	बान्दु	ईचाक	24.0948उ85.4446 पू	368077

48	देवकुली	ईचाक	24.0868उ85.5177 पू	368147
49	तेतरिया	ईचाक	24.0924उ85.4530 पू	368109
50	लोहरी	ईचाक	24.0914उ85.4765 पू	368120
51	कुटुमसुकरी	ईचाक	24.0840उ85.4281 पू	368094
52	मोकतामा	ईचाक	24.0787उ85.4881 पू	368117
53	कुरहा	ईचाक	24.0822उ85.4436 पू	368108
54	चपराख	ईचाक	24.0825उ85.4076 पू	368085
55	असलवार	ईचाक	24.0800उ85.4546 पू	368112
56	छोवनी	ईचाक	24.0786उ85.4314 पू	368095
57	गुंजा	ईचाक	24.0725उ85.4375 पू	368097
58	सिरसि	ईचाक	24.0759उ85.3906 पू	368087
59	असिया	ईचाक	24.0721उ85.4588 पू	368113
60	गिरही	ईचाक	24.0722उ85.4271 पू	368096
61	बोंगा	ईचाक	24.0674उ85.3820 पू	368088
62	बरवा	ईचाक	24.0678उ85.4478 पू	368107
63	भुसाय	ईचाक	24.0686उ85.4148 पू	368091
64	सिमरा	ईचाक	24.0626उ85.4365 पू	368098
65	साङ्गम	ईचाक	24.0642उ85.3994 पू	368089
66	चेनगरा	टाटी झरिया	24.1195उ85.5584पू	368190
67	सेंहदा	टाटी झरिया	24.1094उ 85.5474 पू	368192
68	चिरूआ	कटकमसांडी	24.0143उ 85.2592 पू	368663
69	महुगांय	कटकमसांडी	24.2089उ 85.2409 पू	368594
70	दोनरवा	कटकमसांडी	24.2045उ 85.2476 पू	368595
71	अमझर	कटकमसांडी	24.2139उ 85.1830 पू	368587
72	बचरा	कटकमसांडी	24.2105उ 85.1960 पू	368588
73	लावा कुदर	कटकमसांडी	24.2083उ 85.2068 पू	368589
74	अरा भुसाय	कटकमसांडी	24.2110उ 85.2270 पू	368593
75	बरीकोलाजोंझ	कटकमसांडी	24.1978उ 85.2577 पू	368596
76	खुरकागाड़ा	कटकमसांडी	24.1912उ 85.2803 पू	368598
77	नावाखाप	कटकमसांडी	24.1919उ 85.2717 पू	368597
78	डहुरी	कटकमसांडी	24.1859उ 85.2268 पू	368592
79	मारीगारा	कटकमसांडी	24.1964उ 85.1606 पू	368583
80	शाहपुर	कटकमसांडी	24.1694उ 85.1714 पू	368585
81	झरदाग	कटकमसांडी	24.1823उ 85.2097 पू	368591
82	गुरी	कटकमसांडी	24.1839उ 85.1976 पू	368590
83	कठौतिया	कटकमसांडी	24.1635उ 85.2192 पू	368604

84	चिरूआ	कटकमसांडी	24.1480उ 85.1906 पू	368614
85	बंझिया	कटकमसांडी	24.1407उ 85.1754 पू	368615
86	कटकमसांडी	कटकमसांडी	24.1230उ 85.1906 पू	368616
87	उलाज	कटकमसांडी	24.1072उ 85.1805 पू	368617
88	पुंदबोरू	कटकमसांडी	24.0980उ 85.1872पू	368618
89	पबरा	कटकमसांडी	24.0673उ 85.3531 पू	368651
90	खुटरा	कटकमसांडी	24.0614उ 85.3319 पू	368650
91	कनसार	कटकमसांडी	24.0494उ 85.2680 पू	368635
92	अलगडीहा	कटकमसांडी	24.0288उ 85.3421 पू	368657
93	मायापुर	कटकमसांडी	24.0422उ 85.3346 पू	368653
94	हरिना	कटकमसांडी	24.0453उ 85.3475 पू	368652
95	नावादा	कटकमसांडी	24.0412उ 85.2650 पू	368636
96	कंचनपुर	कटकमसांडी	24.0296उ 85.3000 पू	368642
97	छडवा	कटकमसांडी	24.0285उ 85.3221 पू	368654
98	अतिया	कटकमसांडी	24.0220उ 85.3272 पू	368655
99	बेलरगरहा	कटकमसांडी	24.0310उ 85.2627 पू	368638
100	लुनरी	कटकमसांडी	24.0282उ 85.2859 पू	368637
101	किसुनवा	कटकमसांडी	24.0234उ 85.2703 पू	368639
102	गोदखर(अंश)	कटकमसांडी	24.0158उ 85.3169 पू	368659
103	हेदलाग	कटकमसांडी	24.0180उ 85.2734 पू	368640
104	गुरका/ गोविन्दपुर(अंश)	कटकमसांडी	24.0121उ 85.2924 पू	368641
105	कोनहर	कटकमसांडी	24.2070उ 85.1682 पू	368586
106	तोरार	कटकमसांडी	24.1848उ 85.1734 पू	368584
107	पिपरा	कटकमसांडी	24.1039उ 85.1966 पू	368619
108	जोधाडीह	कटकमसांडी	24.0999उ 85.2011 पू	368620
109	हेसा कुदर	कटकमसांडी	24.1548उ 85.2052 पू	368613
110	बरगारा	कटकमसांडी	24.0577उ 85.2732पू	368634
111	महकोला	पदमा	24.2035उ 85.4165 पू	368048
112	हरमबार	पदमा	24.2030उ 85.4302 पू	368047
113	बसई	पदमा	24.2002उ 85.4435 पू	368046
114	चम्पाडीह	पदमा	24.1971उ 85.4010 पू	368049
115	नावाडीह कला	पदमा	24.1954उ 85.3147 पू	368018
116	रोमी	पदमा	24.1949उ 85.3928 पू	368050
117	गरवा	पदमा	24.1937उ 85.2909 पू	368020
118	घाटो	पदमा	24.1862उ 85.4258 पू	368045
119	बिहारी	पदमा	24.1830उ 85.4040 पू	368039

120	सुरजपुर	पदमा	24.1834उ 85.3895 पू	368034
121	कोरियाडीह	पदमा	24.1939उ 85.3017 पू	368019
122	बरगांव	पदमा	24.1883उ 85.4442 पू	368044
123	परतन	पदमा	24.1908उ 85.3817 पू	368033
124	कुटीपीसी	पदमा	24.1836उ 85.3093 पू	368021
125	बंदरबेला	पदमा	24.1844उ 85.3506 पू	368029
126	कंडादाग	पदमा	24.1870उ 85.3628 पू	368028
127	मुंगरमो	पदमा	24.1885उ 85.3275 पू	368024
128	दोनईखुर्द	पदमा	24.1804उ 85.3387 पू	368023
129	सूजी	पदमा	24.1746उ 85.3915 पू	368035
130	तिलैयाडीह	पदमा	24.1757उ 85.3833 पू	368032
131	अरार	पदमा	24.1745उ 85.3700 पू	368031
132	रोल	पदमा	24.1756उ 85.4299 पू	368042
133	करमा	पदमा	24.1775उ 85.4015 पू	368038
134	मंझगावा	पदमा	24.1781उ 85.4348 पू	368043
135	नावाडीह	पदमा	24.1703उ 85.3955 पू	368036
136	सोनपुरा	पदमा	24.1715उ 85.4247 पू	368041
137	महेशा	मयुर हंड	24.2203उ 85.2803 पू	349231
138	मंझगावा	मयुर हंड	24.2089उ 85.2939 पू	349232
139	जिहरा	पत्थलगढ़ा	24.1034उ 85.1644 पू	349274
140	रतुरवा	पत्थलगढ़ा	24.0868उ 85.1887 पू	349275
141	चितुआ	पत्थलगढ़ा	24.0884उ 85.1660 पू	349277
142	जोरी	पत्थलगढ़ा	24.0766उ 85.1780 पू	349276
143	बरगांव	सिमरिया	24.0613उ 85.2233 पू	349393
144	तीबाब	सिमरिया	24.0458उ 85.1965 पू	349390
145	बेस	सिमरिया	24.0533उ 85.2083 पू	349391
146	बेनपुर	सिमरिया	24.0432उ 85.2184 पू	349392

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।

4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए व्यवहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। (ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

S.O. 2775(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 695 (E) dated the 8th February, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 16th February, 2018;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered in the Ministry;

WHEREAS, Hazaribag Wildlife Sanctuary lies between latitudes 24°01' to 24°12' North and longitudes 85°13' and 85°32' East in the Hazaribag district of Jharkhand. The Sanctuary occupies an area of 186.25 square kilometers and is roughly rectangular in shape covering a length of about 26 kilometers from East to West and a breadth of about 7 kilometers from North to South. It extends over 72 villages falling under the revenue thanas of Hazaribag, Ichak and Padma;

AND WHEREAS, Hazaribag Wildlife Sanctuary has a wide range of biodiversity. In the past, the protected area was known as the home of sambhar, the largest deer species of India. The habitat is also now shared by cheetals, wild boars, black bears, jackals, porcupines, hyenas, pangolins, hares, etc. The important bird species which can be spotted frequently are serpent eagle, paradise fly catcher, king fisher, bee eater, swift, different types of babblers, black drongo, wood pecker, lapwing, pea fowl, pond heron, egret, etc. Sometimes carnivores like wolves and leopards are also spotted. In the District Gazetteer of Hazaribag, 1917, it was observed that the hills of Danto served as the permanent habitat of tigers and that of leopards which were frequently visited the town of Hazaribag. The forests of the Sanctuary also fall in the home range of elephant;

AND WHEREAS, Hazaribag Wildlife Sanctuary lies in the catchments of many small river systems like Kweta, Siwane and Daita. The protected area also serves as the catchments of many rain-fed natural streams and lakes. The forests of the protected area intercept rainfall to help recharge ground water aquifer and protect the river streams against silting by checking soil erosion;

AND WHEREAS, the protected area is home to diverse types of forests - Northern Indian Moist Deciduous Forest, Moist and Dry Peninsular Sal Forest and Northern Dry Mixed Deciduous Forest - and is an excellent habitat for significant populations of 16 species of mammals, 124 species of birds and 142 species of flora, including leopards, sloth bears, pangolins, python, etc., which are all endangered species;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Hazaribag Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 900 meters to 5 kilometres around the boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary, in Hazaribag district in the State of Jharkhand as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 900 meters to 5 kilometres around the boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is **573.86 square kilometres.**
 - (2) The boundary description of Hazaribag Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**
 - (3) The maps of the Hazaribag Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-II.**
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Hazaribag Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure-III.**
 - (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture and Horticulture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism including eco-tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal and Urban Development;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department and
 - (xii) Jharkhand State Pollution Control Board.
 - (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
 - (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
 - (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
 - (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
 - (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

- (b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

- (b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

- (c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

- (d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

- (e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or up to the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger

Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.-** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
 - (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.-** Bio Medical Waste Management shall be as under:-
 - (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016;
 - (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.-** The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.-** The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.-** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the

Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(ii) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills and wood	New or expansion of existing saw mills shall not be

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	based industries.	permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.

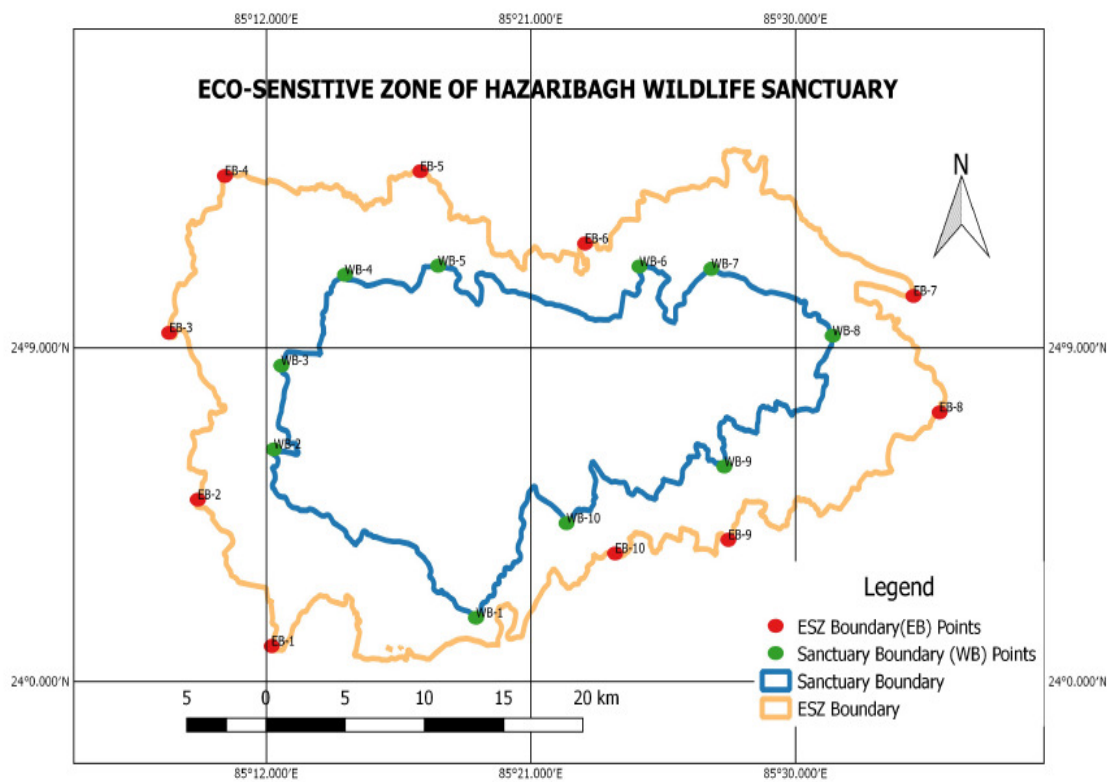
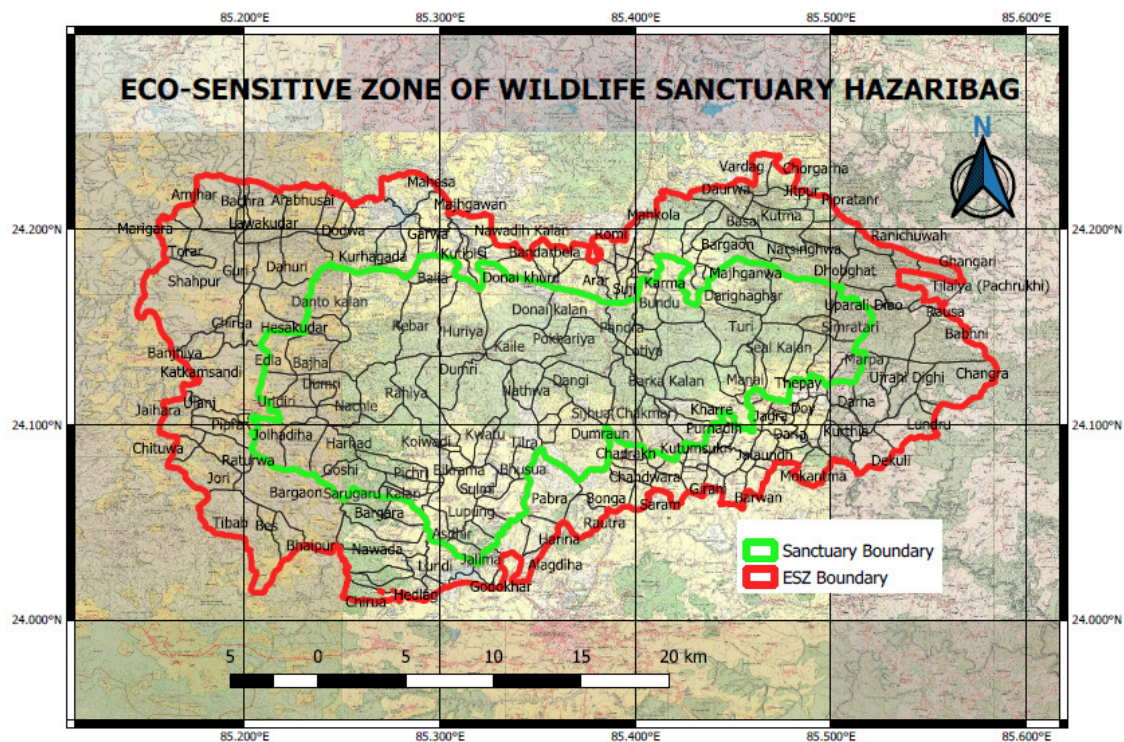
S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| (i) | Commissioner, North Chhotanagpur Division, Hazaribag | Chairman, ex officio |
| (ii) | Representative of State Pollution Control Board | Member; |
| (iii) | A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government | Member; |
| (iv) | A representative nominated by the Forest & Environment Department of Jharkhand | Member; |
| (v) | A expert in Biodiversity nominated by the State Government | Member; |
| (vi) | One expert in Ecology from reputed institution or university of the State | Member; |
| (vii) | Concerned territorial Divisional Forest Officer | Member; |
| (viii) | Divisional Forest Officer-In Charge of Protected Area | Member-Secy. |

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at **Annexure V.**
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.



Annexure-III**Table A -GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Hazaribag Wildlife Sanctuary Boundary**

GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Hazaribag Wildlife Sanctuary Boundary		
Points	Latitude (N)	Longitude (E)
WB-1	24.0287353	85.3188341
WB-2	24.1044644	85.204184
WB-3	24.1420867	85.2084227
WB-4	24.182815	85.2445153
WB-5	24.1868478	85.2973236
WB-6	24.1865578	85.4114566
WB-7	24.1855639	85.4522232
WB-8	24.155473	85.5210726
WB-9	24.096679	85.4596269
WB-10	24.0712338	85.3701658

Table B-GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Hazaribag Wildlife Sanctuary's ESZ Boundary

GPS Co-ordinates of 10 Important Points on Hazaribag Wildlife Sanctuary's ESZ Boundary		
Points	Latitude (N)	Longitude (E)
EB-1	24.015983	85.2029421
EB-2	24.0818193	85.1611126
EB-3	24.1567857	85.1448759
EB-4	24.2272691	85.1764729
EB-5	24.2293016	85.2872968
EB-6	24.1968733	85.3806201
EB-7	24.1733697	85.5668853
EB-8	24.1210868	85.5816588
EB-9	24.0637773	85.4618692
EB-10	24.0577175	85.397699

Annexure-IV**DETAILS OF ENCLAVED VILLAGES OF HAZARIBAG WILDLIFE SANCTUARY FOR IDENTIFICATION OF ECO SENSITIVE ZONE**

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS.Co-ordinates	Town/ Village code as per Census of India , 2011
1	2	3	4	5
1	Rahea	Ichak	24.1123 N, 85.2881 E	368052
2	Kaile	Ichak	24.1406 N, 85.3404 E	368065
3	Champanagar Nawadih	Ichak	24.112 N, 85.3163 E	368054

4	Mathwa (Nathwa)	Ichak	24.1225 N 85.3411 E	368064
5	Tilra	Ichak	24.0960 N 85.3344 E	368058
6	Bhuswa	Ichak	24.0822 N 85.3397 E	368059
7	Bikrama	Ichak	24.0818 N 85.3068 E	368056
8	Koatu	Ichak	24.0911 N 85.3202 E	368057
9	Pokharia	Ichak	24.1400 N 85.3724 E	368066
10	Pandra	Ichak	24.1548 N 85.3901 E	368067
11	Lotwa	Ichak	24.1429 N 85.4013 E	368068
12	Sijhua	Ichak	24.1110 N 85.3916 E	368081
13	Dangi	Ichak	24.1187 N 85.3710 E	368063
14	Fuldaha	Ichak	24.1136 N 85.3530 E	368062
15	Hadari	Ichak	24.0976 N 85.4079 E	368080
16	Dumraun	Ichak	24.0914 N 85.3678 E	368060
17	Gurkua	Ichak	24.0986 N 85.3526 E	368061
18	Parasirajghat	Ichak	24.1426 N 85.4237 E	368069
19	Puranpania	Ichak	24.1513 N 85.4918 E	368132
20	Seal Kalan	Ichak	24.1356 N 85.4704 E	368127
21	Kaladawar	Ichak	24.1356 N 85.4839 E	368133
22	Phuphundi.	Ichak	24.1343 N 85.4969 E	368134
23	Marpa	Ichak	24.1295 N 85.5066 E	368137
24	Seal khurd	Ichak	24.1306 N 85.4602 E	368128
25	Turi	Ichak	24.1508 N 85.4446 E	368129
26	Hasel	Ichak	24.1231 N 85.4455 E	368070
27	Manai	Ichak	24.1281 N 85.4533 E	368071
28	Barkakalan	Ichak	24.1184 N 85.4323 E	368074
29	Parasi	Ichak	24.0998 N 85.4231 E	368079
30	Khutra	Ichak	24.1080 N 85.4271 E	368075
31	Darighaghar	Ichak	24.1711 N 85.4523 E	368130
32	Gardih	Ichak	24.1649 N 85.4802 E	368131
33	Simratari	Ichak	24.1550 N 85.5070 E	368135
34	Dumri	Ichak	24.1244 N 85.2991 E	368053
35	Koiwadi or Kolwadiah	Ichak	24.0885 N 85.3027 E	368055
36	Pichri	Katkamsandi	24.0793 N 85.2732 E	368631
37	Gosi	Katkamsandi	24.0730 N 85.2531 E	368632
38	Sulmi	Katkamsandi	24.0721 N 85.3162 E	368648

39	Sarugaru Khurd	Katkamsandi	24.0680 N 85.2742 E	368629
40	Lupung	Katkamsandi	24.0607 N 85.3041 E	368647
41	Bahimar	Katkamsandi	24.0631 N 85.2797 E	368628
42	Asdhir	Katkamsandi	24.0492 N 85.2956 E	368643
43	Bartua	Katkamsandi	24.0430 N 85.3151 E	368645
44	Dukra	Katkamsandi	24.0507 N 85.3223 E	368646
45	Jalima	Katkamsandi	24.0362 N 85.3103 E	368644
46	Kumhiatanr	Katkamsandi	24.0613 N 85.2605 E	368633
47	Bargara	Katkamsandi	24.0554 N 85.2788 E	368634
48	Danr	Katkamsandi	24.0915 N 85.2767 E	368626
49	Gurudih	Katkamsandi	24.1173 N 85.2660 E	368625
50	Sakarja	Katkamsandi	24.1189 N 85.2453 E	368607
51	Nachle	Katkamsandi	24.1056 N 85.2459 E	368624
52	Dumri	Katkamsandi	24.1170 N 85.2365 E	368608
53	Hatkauna	Katkamsandi	24.0910 N 85.2264 E	368622
54	Lakhnu	Katkamsandi	24.0918 N 85.2097 E	368621
55	Harhad	Katkamsandi	24.0865 N 85.2416 E	368623
56	Edla	Katkamsandi	24.1381 N 85.2144 E	368612
57	Bajha	Katkamsandi	24.1367 N 85.2308 E	368606
58	Uridiri	Katkamsandi	24.1159 N 85.2233 E	368610
59	Borogara	Katkamsandi	24.1058 N 85.2227 E	368609
60	Kharika	Katkamsandi	24.1208 N 85.2127 E	368611
61	Dharhara	Katkamsandi	24.0688 N 85.3276 E	368649
62	Danto Kalan	Katkamsandi	24.1680 N 85.2406 E	368603
63	Danto Khurd	Katkamsandi	24.1534 N 85.2621 E	368602
64	Kud	Katkamsandi	24.1500 N 85.2395 E	368605
65	Balia	Katkamsandi	24.1802 N 85.2934 E	368599
66	Raibar	Katkamsandi	24.1557 N 85.2892 E	368601
67	Horeya	Katkamsandi	24.1528 N 85.3088 E	368600
68	Sarugaru Kalan	Katkamsandi	24.0696 N 85.2835 E	368630
69	Donai Kalan	Padma	24.1629 N 85.3339 E	368022
70	Jihu	Padma	24.1584 N 85.3658 E	368030
71	Tilir	Padma	24.1613 N 85.4030 E	368037
72	Bundu	Padma	24.1674 N 85.4170 E	368040

**ECO SENSITIVE ZONE IDENTIFICATION AND DETAILS OF AREA AROUND HAZARIBAG WILDLIFE
SANCTUARY**

Sl. No	Name of Village	Admm Block	GPS.co-ordinates	Town/ Village code as per Census of India , 2011
1	2	3	4	5
1	Bardag	Barhi	24.2283 N 85.4601 E	367994
2	Chorgarha	Barhi	24.2272 N 85.4724 E	367997
3	Jitpur	Barhi	24.2158 N 85.4727 E	367998
4	Pipratn	Barhi	24.2113 N 85.4922 E	368003
5	Daurwa (P)	Barhi	24.2209 N 85.4398 E	367894
6	Kutma	Barhi	24.2030 N 85.4717 E	367999
7	Karharia	Barhi	24.1974 N 85.4984 E	368002
8	Rani Chunwa (P)	Barhi	24.1949 N 85.5201 E	368006
9	Narsinghwa	Barhi	24.1904 N 85.4642 E	368000
10	Dhobghat	Barhi	24.1828 N 85.4884 E	368001
11	Meramgarah (P)	Barkatha	24.1904 N 85.5380E	368306
12	Ghangri (P)	Barkatha	24.1851 N 85.5547 E	368319
13	Sijua	Barkatha	24.1788 N 85.5173 E	368607
14	Tilaia Pachrukhi (P)	Barkatha	24.1702 N 85.5513 E	368318
15	Hethli Debo	Barkatha	24.1664 N 85.5337 E	368309
16	Upraili debo	Barkatha	24.1664 N 85.5138 E	368308
17	Babhni (P)	Barkatha	24.1485 N 85.5292 E	368145
18	Rausa	Barkatha	24.1619 N 85.5458 E	368310
19	Rautra	Hazaribag	24.0536 N 85.3705 E	368504
20	Karamtanr	Ichak	24.1485 N 85.5292 E	368136
21	Darha	Ichak	24.1485 N 85.5292 E	368142
22	Chandwara	Ichak	24.1222 N 85.5610 E	368092
23	Dighibasti	Ichak	24.1268 N 85.1202 E	368143
24	Ujrahi Dighi	Ichak	24.1198 N 85.14898 E	368144
25	Ambatanr	Ichak	24.1071 N 85.4611 E	368125
26	Barka khurd	Ichak	24.1071 N 85.4611 E	368073
27	Jagra	Ichak	24.1095 N 85.4729 E	368123
28	Thepai	Ichak	24.1174 N 85.4803 E	368126
29	Ara	Ichak	24.1164 N 85.5023 E	368138
30	Ratanpur	Ichak	24.1147N 85.4579 E	368072
31	Lundru	Ichak	24.1008 N 85.5359 E	368146
32	Naranga Pokharia	Ichak	24.1029 N 85.4902 E	368139
33	Doi	Ichak	24.1045 N 85.4829 E	368124
34	Kurthia	Ichak	24.1017 N 85.5049 E	368141
35	Daria	Ichak	24.1002 N 85.4696 E	368121
36	Jogidih	Ichak	24.1044 N 85.4737 E	368122
37	Kharre	Ichak	24.1038 N 85.4442 E	368076

38	Bansi Nagar	Ichak	24.0908 N 85.4998 E	368140
39	Rud	Ichak	24.0895 N 85.3866 E	368082
40	Jalaundh	Ichak	24.0896 N 85.4631 E	368110
41	Dharmu	Ichak	24.0858 N 85.4215 E	368115
42	Urka	Ichak	24.0851 N 85.4767 E	368119
43	Gobarbandha	Ichak	24.0862 N 85.3967 E	368083
44	Bariat	Ichak	24.0780 N 85.3978 E	368086
45	Chanda	Ichak	24.0802 N 85.4635 E	368111
46	Purnaichak alias Purnadih	Ichak	24.0942 N 85.4373 E	368078
47	Bandua	Ichak	24.0948 N 85.4446 E	368077
48	Dekuli	Ichak	24.0868 N 85.5177 E	368147
49	Tetaria	Ichak	24.0924 N 85.4530 E	368109
50	Lonhri	Ichak	24.0914 N 85.4765 E	368120
51	Kutumsukri	Ichak	24.0840 N 85.4281 E	368094
52	Moktama	Ichak	24.0787 N 85.4881 E	368117
53	Kurha	Ichak	24.0822 N 85.4436 E	368108
54	Chaprakh	Ichak	24.0825 N 85.4076 E	368085
55	Asalwar	Ichak	24.0800 N 85.4546 E	368112
56	Chhaoni	Ichak	24.0786 N 85.4314 E	368095
57	Gunja	Ichak	24.0725 N 85.4375 E	368097
58	Sirsi	Ichak	24.0759 N 85.3906 E	368087
59	Asia	Ichak	24.0721 N 85.4588 E	368113
60	Girhi	Ichak	24.0722 N 85.4271 E	368096
61	Bonga	Ichak	24.0674 N 85.3820 E	368088
62	Barwa	Ichak	24.0678 N 85.4478 E	368107
63	Bhusai	Ichak	24.0686 N 85.4148 E	368091
64	Simra	Ichak	24.0626 N 85.4365 E	368098
65	Saram	Ichak	24.0642 N 85.3994 E	368089
66	Chengra	Tati Jharia	24.11953 N 85.55844E	368190
67	Senhda	Tati Jharia	24.1094 N 85.5474 E	368192
68	Chirua	Katkamdag	24.0143 N 85.2592 E	368663
69	Mauhgain	Katkamsandi	24.2089 N 85.2409 E	368594
70	Donrwa	Katkamsandi	24.2045 N 85.2476 E	368595
71	Amjhar	Katkamsandi	24.2139 N 85.1830 E	368587
72	Bachra	Katkamsandi	24.2105 N 85.1960 E	368588
73	Lawa Kudar	Katkamsandi	24.2083 N 85.2068 E	368589
74	Arabhusai	Katkamsandi	24.2110 N 85.2270 E	368593
75	Barikola Jhonjh	Katkamsandi	24.1978 N 85.2577 E	368596
76	Kurhagada	Katkamsandi	24.1912 N 85.2803 E	368598
77	Nawa khap	Katkamsandi	24.1919 N 85.2717 E	368597
78	Dahuri	Katkamsandi	24.1859 N 85.2268 E	368592
79	Marigara	Katkamsandi	24.1964 N 85.1606 E	368583
80	Shahapur	Katkamsandi	24.1694 N 85.1714 E	368585
81	Jhardag	Katkamsandi	24.1823 N 85.2097 E	368591

82	Guri	Katkamsandi	24.1839 N 85.1976 E	368590
83	Kathoutia	Katkamsandi	24.1635 N 85.2192 E	368604
84	Chirua	Katkamsandi	24.1480 N 85.1906 E	368614
85	Banjhia	Katkamsandi	24.1407 N 85.1754 E	368615
86	Katkamsandi	Katkamsandi	24.1230 N 85.1906 E	368616
87	Ulanj	Katkamsandi	24.1072 N 85.1805 E	368617
88	Pundboru	Katkamsandi	24.0980 N 85.1872E	368618
89	Pabra	Katkamsandi	24.0673 N 85.3531 E	368651
90	Khutra	Katkamsandi	24.0614 N 85.3319 E	368650
91	Kanrsar	Katkamsandi	24.0494 N 85.2680 E	368635
92	Alagdiha	Katkamsandi	24.0288 N 85.3421 E	368657
93	Mayapur	Katkamsandi	24.0422 N 85.3346 E	368653
94	Harina	Katkamsandi	24.0453 N 85.3475 E	368652
95	Nawada	Katkamsandi	24.0412 N 85.2650 E	368636
96	Kachanpur	Katkamsandi	24.0296 N 85.3000 E	368642
97	Chharwa	Katkamsandi	24.0285 N 85.3221 E	368654
98	Atia	Katkamsandi	24.0220 N 85.3272 E	368655
99	Belargara	Katkamsandi	24.0310 N 85.2627 E	368638
100	Lunri	Katkamsandi	24.0282 N 85.2859 E	368637
101	Kisunawa	Katkamsandi	24.0234 N 85.2703 E	368639
102	Godokhar(p)	Katkamsandi	24.0158 N 85.3169 E	368659
103	Hedlag	Katkamsandi	24.0180 N 85.2734 E	368640
104	Garke alias Gobindpur (p)	Katkamsandi	24.0121 N 85.2924 E	368641
105	Konhar	Katkamsandi	24.2070 N 85.1682 E	368586
106	Torar	Katkamsandi	24.1848 N 85.1734 E	368584
107	Pipra	Katkamsandi	24.1039 N 85.1966 E	368619
108	Jolhadiha	Katkamsandi	24.0999 N 85.2011 E	368620
109	Hesa Kudar	Katkamsandi	24.1548 N 85.2052 E	368613
110	Bargara	Katkamsandi	24.0577 N 85.2732E	368634
111	Mahkola	Padma	24.2035 N 85.4165 E	368048
112	Harambar	Padma	24.2030 N 85.4302 E	368047
113	Basai	Padma	24.2002 N 85.4435 E	368046
114	Champadih	Padma	24.1971 N 85.4010 E	368049
115	Nawadih Kalan	Padma	24.1954 N 85.3147 E	368018
116	Romi	Padma	24.1949 N 85.3928 E	368050
117	Garwa	Padma	24.1937 N 85.2909 E	368020
118	Ghanto	Padma	24.1862 N 85.4258 E	368045
119	Bihari	Padma	24.1830 N 85.4040 E	368039
120	Surajpura	Padma	24.1834 N 85.3895 E	368034
121	Koiriadih	Padma	24.1939 N 85.3017 E	368019
122	Bargaon	Padma	24.1883 N 85.4442 E	368044
123	Partan	Padma	24.1908 N 85.3817 E	368033
124	Kutipisi	Padma	24.1836 N 85.3093 E	368021
125	Bandarbela	Padma	24.1844 N 85.3506 E	368029

126	Kandadag	Padma	24.1870 N 85.3628 E	368028
127	Mungarmao	Padma	24.1885 N 85.3275 E	368024
128	Donaikhurd	Padma	24.1804 N 85.3387 E	368023
129	Suji	Padma	24.1746 N 85.3915 E	368035
130	Tilaidih	Padma	24.1757 N 85.3833 E	368032
131	Arar	Padma	24.1745 N 85.3700 E	368031
132	Rol	Padma	24.1756 N 85.4299 E	368042
133	Karma	Padma	24.1775 N 85.4015 E	368038
134	Majhganwa	Padma	24.1781 N 85.4348 E	368043
135	Nawadih	Padma	24.1703 N 85.3955 E	368036
136	Sonpura	Padma	24.1715 N 85.4247 E	368041
137	Mahesa	Mayur hand	24.2203 N 85.2803 E	349231
138	Majhgawan	Mayur hand	24.2089 N 85.2939 E	349232
139	Jehra	Pathalgada	24.1034 N 85.1644 E	349274
140	Raturwa	Pathalgada	24.0868 N 85.1887 E	349275
141	Chitua	Pathalgada	24.0884 N 85.1660 E	349277
142	Jori	Pathalgada	24.0766 N 85.1780 E	349276
143	Bargaon	Simaria	24.0613 N 85.2233 E	349393
144	Tibab	Simaria	24.0458 N 85.1965 E	349390
145	Bes	Simaria	24.0533 N 85.2083 E	349391
146	Bhenpur	Simaria	24.0432 N 85.2184 E	349392

Annexure–V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.